राजस्थान राज्य व अन्य. बनाम् भैरू सिंह व अन्य.

(1) (खण्डपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या-595/1994)

राजस्थान राज्य वगैरा बनाम् विजय सिंह

(2) (खण्डपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या-46/1995)

10.01.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्री आर.एस. चौहान

श्री एम.एल. गोयल, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

श्री राजेन्द्र सोनी, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में खण्डपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या-595/1994 में पारित स्थगन आदेश दिनांक-13.7.1995 को वेकेट हो चुका है तथा विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमश: दिनांक-17.3.1994 व 29.3.1994, जिनको अपीलार्थीगण ने इन अपीलों में चुनौती दी गई है, की पालना हो चुकी है। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री एम.एल. गोयल ने हमारा ध्यान-**सचिव, कर्नाटक राज्य वगैरा बनाम् उमा देवी वगैरा** (A.I.R. 2006 S.C. Page 1806) न्यायिक दृष्टान्त में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा दिए गये निर्देशों की ओर आकर्षित किया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिए गये निर्देश इन प्रकरणों पर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। प्रत्यर्थीगण, जिन्हें वर्ष 1995 में ही अर्द्धस्थाई घोषित किया जा चुका है, के सम्बन्ध में अब हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। उक्त परिस्थितियों में हम इन विशेष अपीलों में कोई बल नहीं पाते।

परिणामत: यह दोनों विशेष अपीलें निरस्त की जाती है।

(न्या. आर.एस. चौहान) **(न्या. शिव कुमार शर्मा)**